



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
 तालानगरी अलीगढ़

सुनहरा अवसर

निगम के अलीगढ़ परिसर के अन्तर्गत सीमित संख्या में आवासीय, औद्योगिक एवं कामर्शियल भूखण्ड प्राप्त करने का

औद्योगिक क्षेत्र तालानगरी आवासीय सेक्टर में आवासीय/अस्पताल/स्कूल हेतु भूखण्ड (तीस गति)

क्र. सं.	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का क्षेत्रफल	कुल उपलब्ध भूखण्ड	घयन प्रणाली	न्यूनतम आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी०)	परोक्ष वनराशि (रू० में) सेक्टर तालानगरी	प्रक्रिया शुल्क
1.	आवासीय	200-1120	15	लाटरी	6800/-	10%	2000/-
2.	स्कूल	2369.05	1	साक्षात्कार	6800/-	10%	5000/-
3.	इण्टरमीडिएट कालेज	10326.85	1	साक्षात्कार	6800/-	10%	10000/-
4.	अस्पताल	2772.29	1	साक्षात्कार	6800/-	10%	10000/-

औद्योगिक क्षेत्र सी०डी०एफ० छेत अलीगढ़ (धीमी गति)

1.	औद्योगिक	800-1900	24	साक्षात्कार	3400/-	5%	1000/-
2.	औद्योगिक	2200-5300	18	साक्षात्कार	3400/-	5%	1000/-
3.	अविकसित भूमि	14.07 एकड़	*	*	*	*	*

औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर (धीमी गति)

1.	स्कूल	8214.88	1	साक्षात्कार	1560/-	5%	1000/-
2.	औद्योगिक	1000-4000	31	साक्षात्कार	1560/-	5%	1000/-

औद्योगिक क्षेत्र एटा (धीमी गति)

1.	औद्योगिक	400-800	19	साक्षात्कार	1545/-	5%	1000/-
----	----------	---------	----	-------------	--------	----	--------

आई०आई०डी०सी० एटा (धीमी गति)

1.	औद्योगिक	200-600	96	साक्षात्कार	1545/-	5%	1000/-
2.	मेडिकल	500	1	साक्षात्कार	1545/-	5%	5000/-

औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर एटा में कामर्शियल पेट्रोल पम्प/रेस्टोरेन्ट/होटल एवं दुकान हेतु भूखण्ड

क्र. सं.	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का क्षेत्रफल	कुल उपलब्ध भूखण्ड	घयन प्रणाली	न्यूनतम आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी०)	परोक्ष वनराशि (रू० में) सेक्टर तालानगरी	प्रक्रिया शुल्क
----------	------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	---	-----------------

औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर (हाथरस) में पेट्रोल पम्प/दुकान हेतु भूखण्ड (धीमी गति)

1.	पेट्रोल पम्प	3276.01	1	विड्स द्वारा	3120/-	5%	5000/-
2.	दुकान	42.30-50	52	विड्स द्वारा	3120/-	5%	5000/-

औद्योगिक क्षेत्र आई०आई०डी०सी० एटा में कामर्शियल/दुकान हेतु भूखण्ड (धीमी गति)

1.	दुकान	100-214.50	3	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-
2.	रेस्टोरेन्ट	1145.45	1	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-
3.	पेट्रोल पम्प	2958.36	1	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-
4.	होटल	1999.00	1	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-
5.	शॉपिंग	2315.74	1	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-
6.	आरक्षित भूमि	1064.00	1	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-

औद्योगिक क्षेत्र एटा में कामर्शियल हेतु भूखण्ड (धीमी गति)

1.	कामर्शियल	1600.00	1	विड्स द्वारा	3090/-	5%	5000/-
----	-----------	---------	---	--------------	--------	----	--------

औद्योगिक क्षेत्र तालानगरी अलीगढ़ के आवासीय सेक्टर में कामर्शियल भूखण्ड

1.	मल्टीप्लेक्स-कम होटल	10568.25	1	विड्स द्वारा	13600/-	10%	100000/-
----	----------------------	----------	---	--------------	---------	-----	----------

नियम एवं शर्तें

1. औद्योगिक/आवासीय भूखण्ड हेतु ₹500/-, कामर्शियल/दुकान भूखण्ड हेतु 1000/- आबंटन फार्म शुल्क देय होगा (सर्विस टैक्स अतिरिक्त)। 2. आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2016 से यूपीएसआईसीसी क्षेत्रीय कार्यालय तालानगरी सेक्टर-1 रामघाट रोड अलीगढ़ से प्राप्त किया जा सकेगा। 3. कामर्शियल भूखण्डों की सील बिड्स क्षेत्रीय कार्यालय तालानगरी अलीगढ़ से दिनांक 04.11.2016 से 03.12.2016 तक जमा की जाएगी तथा दिनांक 05.12.2016 को आवेदकों की उपस्थिति में साथ 3 बजे आबंटन समिति के सम्मन खोली जायेगी। 4. भूखण्डों की प्रक्रिया शुल्क एवं धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट/चे-आर्डर यूपीएसआईसीसी देय अलीगढ़ के पक्ष में जमा करना होगा। 5. भूखण्ड के लोकेशन, कॉन्ट्रि, ग्रीन बेल्ट, पार्क फेसिंग चार्ज अतिरिक्त देय होगा। 6. विज्ञापन में दर्शाये गये भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल घट-बढ़ सकती है। 7. बिड्स एक एवं विहित भूखण्ड हेतु दी जा सकती है। एक भूखण्ड के लिये न्यूनतम दो बिड प्राप्त होने पर ही आबंटन हेतु विचार किया जायेगा। बिड्स में विहित भूखण्ड की संख्या बताना आवश्यक है। बिना भूखण्ड संख्या के आवेदन निरस्त किये जा सकते हैं। अधिकतम मूल्य की बिड्स देने वाले आवेदकों द्वारा यदि आबंटन स्वीकार नहीं किया जाता है तो 2.5% धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 8. भूखण्ड विशेष हेतु अधिकतम मूल्य वाली बिड्स पूर्ण भरे आवेदन पत्र, धरोहर धनराशि के साथ आबंटन के लिये स्वीकार की जायेगी। उसके उपरान्त मूल्यां में किसी भी प्रकार की सौदेबाजी स्वीकार नहीं की जायेगी। भूखण्डों की सील बिड्स निगम के क्षेत्रीय कार्यालय तालानगरी अलीगढ़ में आवेदकों की उपस्थिति में खोली जायेगी। 9. औद्योगिक भूखण्ड पर तीन वर्ष के अन्दर इकाई स्थापित करनी होगी तथा आवासीय भूखण्ड पर आवास पांच वर्ष के अन्दर निर्मित करना होगा। 10. औद्योगिक क्षेत्रों में लम्बित बाढ़ों, निरस्तीकरण के उपरान्त, भूमि विवाद के निस्तारण के उपरान्त प्राप्त भूखण्डों का आबंटन सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2016-17 तक (Open ended) जारी रहेगा। 11. आवासीय भूखण्डों की लाटरी प्राप्त आवेदनों के अनुसार एक माह में खोली जायेगी। 12. आबंटन तिथि पर लागू प्रचलित दर ही अनुमन्त्र होगी। 13. प्रथम निदेशक यूपीएसआईसीसी को किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। 14. अपूर्ण एवं गलत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। 15. यदि किसी कारणवश आबंटन योजना निरस्त नहीं हो पाती है तो आवेदकों द्वारा जमा की गई धनराशि का भुगतान प्रक्रिया शुल्क की कटौती करते हुए बिना किसी ब्याज के निगम द्वारा वापस की जायेगी। 16. आबंटन से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के दूरभाष नं० 0571-2780114 एवं निगम वेबसाइट www.upsidc.com से प्राप्त की जा सकती है। 17. नविष्ठ में आबंटन के परचात भूखण्ड हस्तान्तरण 30% क्षेत्रफल आबंटनित कर इकाई उत्पादन में लाने पर ही अनुमन्त्र होगा। 18. आवासीय भूखण्डों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2016 तक प्राप्त किये जायेंगे। 19. * निगम की वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़

Ad Size 15x16 =240 sq.cm.